आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू, (राँची)।

धारा–छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–71 (A) के तहत
वाद संख्या–SAR-15/2018-19

1. मंजु मुण्डा,
   पिता–स्व० इन्दराय मुण्डा,
   सा०–हेंठकाँची, थाना–बुण्डू,
   जिला–राँची।..आवेदक / प्रथम पक्ष।

बनाम

1. मंगल मुण्डा,
   पिता–स्व० जगरनाथ मुण्डा, ग्राम–हेंठकाँची, थाना–बुण्डू,
   जिला–राँची। ....द्वितीय पक्ष।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता– श्री शिवशंकर महतो
विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता– श्री रामचरण महतो

आदेश

06/04/2021

प्रस्तुत वाद में आवेदकगण के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से धारा–71(ए) छो०का०अधि० के अन्तर्गत भू–वापसी हेतु आवेदन दिया गया है कि निम्नांकित जमीन पर विपक्षी ने छल प्रपंज से नाजायज ढंग से कब्जा कर लिया है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम धारा–71(ए) के तहत कार्रवाई कर जमीन को वापस दिलाया जाय।

भूमि विवरण

मौजा	थाना	थाना सं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकवा
काँची	बुण्डू	12	211	1718	10 डी० मध्ये 16 डी०

आवेदकगण के आवेदन को पंजीकृत कर उभय पक्ष को सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत करते हुए वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। तत्पश्चात उभय पक्ष के द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल की गयी।

द्वितीय पक्ष कारण–पृच्छाः–

द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा में उनके कथनानुसार–विवादित भूमि आर.एस. खतियान में गाजी मुण्डा वो लच्छु मुण्डा पिता जेना मुण्डा के नाम से दर्ज है। आवेदक खतियानी रैयत के वंशज है। विपक्षी उपरोक्त जायदाद को दिनांक–24.09.1986 को सादा पट्टा द्वारा हासिल कर लम्बा–चौड़ा कच्चा मकान बनाकर सपरिवार रहते

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
06/04/2021		

हैं। उपरोक्त जायदाद को विक्रेता अपनी बिमारी का इलाज करने के लिए विक्रय किए हैं जिससे उनका इलाज हुआ था। उक्त विक्रय के समय बिक्री पट्टा में गवाह मुण्डा मुण्डा वो मधुसूदर राय मुण्डा के सामने विक्रय हुआ है। आवेदक खतियानी रैयत की पुत्री है जिसका विवाह ग्राम–कुंचा चाऊली थाना तमाड़ में हुआ है जहाँ अपने परिवार के साथ रहती है। मुण्डा नियमन के मुताबिक विवाहित पुत्री को पैतृक सम्पत्ति पर कोई हक एवं अधिकार नहीं दिया गया है। आवेदक के आवेदन में जमीन का अन्तरण 7 वर्ष बताया गया है जो सरासर गलत है क्योंकि उक्त जायदाद का अन्तरण उनके पिता द्वारा दिनांक–24.09.1986 को हुई है तब से विपक्षी उक्त जायदाद पर कच्चा मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहा है। उक्त धारा के अंतर्गत 30 वर्ष के अंतर्गत मुकदमा दायर नहीं किया गया है जो खारिज योग्य है।

आवेदिका का कारण–पृच्छाः–

आवेदिका की ओर दाखिल कारण–पृच्छा में उनके कथनानुसार विवादित भूमि का चौहदीः–उ०–दुनो मुण्डा, द०–इन्दर मुण्डा, पू०–खीरव मुण्डा, प०–हलरू मुण्डा है। विवादित भूमि आर.एस. खतियान में गाजी मुण्डा वो लच्छु मुण्डा पिता जेना मुण्डा के नाम से दर्ज है। आवेदक खतियानी रैयत के वंशज है। विपक्षी अपने कारण–पृच्छा में सादा पट्टा द्वारा दिनांक–24.09.1986 ई० को खरीदगी बताए हैं जो बिल्कुल जाली और बनावटी है। विपक्षी के फर्जी कागजात में 30 वर्ष को अवलोकन की बात तथ्य से परे है जो पारा–14 में दर्ज किए हैं, फर्जी एवं बनावटी कागजातों की गणना नहीं होता है। विपक्षी उक्त जमीन को छल–प्रपंज वो धोखा से एवं गैर कानूनी ढंग से कब्जा किए हुए। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदिका द्वारा दायर भू–वापसी आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचती है कि बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन, 1969 अन्तर्गत परिसीमा का अवधि 30 वर्ष के पश्चात आवेदक के द्वारा भू–वापसी का आवेदन दिया गया है। ऐसी स्थिति में छो०का०अधि० 1908 की धारा–71'ए' का वाद चलने योग्य नहीं है। अतः आवेदक के द्वारा दायर भू–वापसी आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by SAMEERA S
Date: 2021.07.05 15:00:58 +05:30
Location: 10.93.79.11

8.08.04   8.08.04

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू राँची।   भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू राँची।